

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक-एफ.1(1)(6)स्था./आईसीडीएस/19/28963  
आदेश


जयपुर, दिनांक 11-02-19

निम्नलिखित पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक दृष्टि से उनके नाम के सम्मुख स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कहां से	कहां को	विशेष विवरण
1	श्रीमती शीतलश्री	एनटीटी	आंगनबाड़ी केन्द्र नेतराम की ढाणी, परियोजना उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)	आंगनबाड़ी केन्द्र दहमीकलां चतुर्थ परियोजना सांगानेर ग्रामीण (जयपुर)	रिक्त पद पर
2	श्रीमती अनुपमा हाडोटिया	एनटीटी	आंगनबाड़ी केन्द्र-2 पुरानी पडासोली परि. आसीन्द (भीलवाडा)	आंगनबाड़ी केन्द्र आकडसादा, परि. आसीन्द (भीलवाडा)	रिक्त पद पर
3	श्री रीतेश सैनी	एनटीटी	आंगनबाड़ी केन्द्र रँवासा परि. नादौती (करौली)	आंगनबाड़ी केन्द्र एकोरासी, परियोजना हिण्डौन (करौली)	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी बोहरा के स्थान पर
4	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी बोहरा	एनटीटी	आंगनबाड़ी केन्द्र एकोरासी, परियोजना हिण्डौन (करौली)	आंगनबाड़ी केन्द्र रँवासा परि. नादौती (करौली)	श्री रीतेश सैनी के स्थान पर

उक्त कार्मिकों में से जो कार्मिक चुनाव कार्य से जुड़े हैं, उन कार्मिकों पर यह आदेश चुनाव कार्य पूर्ण होने तक प्रभावी नहीं होगा।

उक्त ~~कार्मिकों~~ आदेशों की अनुपालना में नवपदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
उप निदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राज. जयपुर।


क्रमांक-एफ.1(1)(6)स्था./आईसीडीएस/19/28964-989

जयपुर, दिनांक 11-02-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- (1) विशिष्ट सहायक, माननीया राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
- (2) निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
- (3) निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
- (4) एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

- (5) सम्बन्धित जिला कलक्टर।
- (6) सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद।
- (7) निदेशालय के समस्त अधिकारीगण।
- (8) सम्बन्धित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
- (9) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- (10) सम्बन्धित कार्मिक।
- (11) आदेश पत्रावली।



उप निदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राज. जयपुर।